भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1670

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2026

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

1670. श्री नीरज मौर्य:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर नए आवेदन प्रस्तुत करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त न होने के कारण, आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक समुदायों के बड़ी संख्या में छात्रों को फीस चुकाने में असमर्थता के कारण बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का उन छात्रों को कोई अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति नहीं मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों, अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदायों के विद्यार्थियों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएँ कार्यान्वित की गई थीं:

(i) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना;
(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना; तथा
(iii) मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति योजना

इन योजनाओं का कार्यान्वयन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) द्वारा किया गया था। ये योजनाएँ शैक्षणिक वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित की गई थीं तथा इन योजनाओं को वर्ष 2021-22 के बाद कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था।

(ग): इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
